प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्रह'

[15/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 4509]

20

परिशिष्ट–1

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2010

F. No. 17-E-172-XXI-B (II)-2010.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 299 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby directs that Mission Director, Reproductive and Child Health/ National Rural Health Mission, Madhya Pradesh is authorised to sign and execute the agreement with Public Health Foundation of India, New Delhi, in connection with organising the Post Graduate Diploma Course for the MBBS/ BDS doctors, B.Sc. Nursing and Master of Social Work candidates in the State Institute of Health Management and Communication, Gwalior.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
A. J. KHAN, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2010

फा. क्र. 17(ई)-231-2008-इक्कीस-ब (दो).— दिनांक 3 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री लालमणि सिंह बघेल, अधिवक्ता, निवासी बजरंग कालोनी, तहसील नागौद, जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

फा. क्र. 17(ई)-232-2008-इक्कीस-ब (दो).— दिनांक 3 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री प्रभुदयाल पाण्डेय, अधिवक्ता, निवासी शास्त्री नगर, तहसील नागौद, जिला सतना को तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु विविध याचिका क्रमांक 11122/2008 राजकिशोर चौधरी विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 मई, 2009 के पालन में आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील नागौद में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्र. एफ-22-60-08-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम, 202 के उपनियम (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उन सेवा प्रभारों को विनिर्दिष्ट करती है जो कि निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित की जा रही निम्नलिखित 24 जांच चौकियों पर, निम्नलिखित दरों पर, प्रति फेरा प्रति यान के आधार पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी किए जाने वाले, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाण-पत्र या अनन्तिम पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के दिनांक से यान के स्वामी या चालक द्वारा वहन किए जाएंगे:—

1. 'डाटा एन्ट्री तथा तोलने' के लिए सेवा प्रभार—

अनुक्रमांक	यान का प्रकार	राशि (रुपयों में) (प्रति फेरा प्रतियान)
(1)	(2)	(3)
1.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल.सी.वी.)	20.00
2.	दो एक्सल ट्रक	40.00
3.	बहु एक्सल ट्रक	80.00

उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे पांच रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा. यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.

2. माल लादने/माल उतारने के लिए प्रभार.— माल लादने/उतारने के लिए प्रभार रुपये 240 प्रति टन होगा जिसमें प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और जिसे दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा.

यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी. यह प्रभार केवल उन्हीं यानों से उद्गृहीत किया जाएगा जो मांग पर ऐसी सेवा का लाभ लेते हों.

3. पार्किंग प्रभार—

पार्किंग की अवधि	प्रभार (रुपयों में)	
	हल्के वाणिज्यिक यान	ट्रक/बहु एक्सल/अत्यधिक बड़े आकार के यान
(1)	(2)	(3)
प्रथम छह घंटे	निरंक	निरंक
छह घंटों से अधिक	20.00	30.00
अगले छह घंटों के स्लैब	50.00	75.00

उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी और उसे पांच रुपयों के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा. यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.

टिप्पणी.—उपरोक्त सेवा प्रभार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित निजी निवेशक या विकासकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संगृहीत किए जाएंगे.

सीमा जांच चौकियों की सूची

अनु-क्रमांक	सड़कों के ब्यौरे	सन्निर्माण स्थल
(1)	(2)	(3)
1.	आगरा-मुम्बई मार्ग (एन.एच.-3)	बालसमुन्द
2.	मुरैना-धौलपुर मार्ग	मुरैना
3.	महू-नीमच मार्ग (एस.एच.-31)	नयागांव
4.	इन्दौर-इच्छापुर मार्ग (एस.एच.-27)	बुरहानपुर
5.	इन्दौर-अहमदाबाद मार्ग (एन.एच.-59)	पिथोल
6.	रीवा-मिर्जापुर मार्ग (एन.एच.-7)	हनुमना
7.	शाजापुर-उज्जैन-झालावाड़ मार्ग (एस.एच.-27)	डोंगरगांव
8.	सिवनी-नागपुर मार्ग (एन.एच.-7)	खवासा
9.	बैतूल-नागपुर मार्ग (एन.एच.-69)	मुल्ताई
10.	रीवा-इलाहाबाद मार्ग (एन.एच.-27)	चाकघाट
11.	जबलपुर-मण्डला मार्ग (एन.एच.-12ए)	मोंगली
12.	शिवपुरी-झांसी मार्ग (एन.एच.-25)	सिकन्दरा
13.	भिण्ड इटावा मार्ग (एन.एच.-92)	पूफ
14.	नौगांव झांसी मार्ग (एन.एच.-75)	सरई नाका
15.	छिन्दवाड़ा-नागपुर मार्ग (एस.एच.-19)	खापा करीमवार
16.	जबलपुर-जयपुर मार्ग (एन.एच.-12)	खिलचीपुर
17.	सेंधवा-खेतिया मार्ग (एम.डी.आर.)	निवाली
18.	सागर-ललितपुर मार्ग (एन.एच.-26)	मालथोन
19.	सागर-कानपुर मार्ग (एन.एच.-86)	खेमहा
20.	शिवपुरी-कोटा मार्ग (एन.एच.-76)	खारई
21.	वरूड़-मुल्ताई मार्ग	वरूड़
22.	डिण्डौरी-अमरकंटक मार्ग	कबीर चबूतरा
23.	अनूपपुर-अमरकंटक मार्ग	वेंकटनगर
24.	बालाघाट-गोंदिया मार्ग (एस.एच.-11)	राजेगांव

No. 22-60-08-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (11) of rule 202 of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the State Government hereby specify the service charges which shall be borne by the Vehicle owner or driver at the following rates on the following 24 check posts being developed by investment from private sector on a per trip per Vehicle basis with effect from the date of issuance of Completion Certificate or Provisional Completion Certificate, as the case may be, to be issued by the Madhya Pradesh Road Development Corporation:—

1. Service Charges for 'Data Entry and weighing'

S.No.	Category of Vehicle	Amount (in Rs.) (per trip per vehicle)
(1)	(2)	(3)
1.	Light Commercial Vehicle (LCV)	20.00
2.	Two Axle Truck	40.00
3.	Multi Axle Truck	80.00

The above rates will increase @ 5% per year and will be rounded off to the nearest five rupees. This increase will be made effective from 1st of April every year. The first increase will be effective from 1 April 2010.

2. Loading/Unloading Charges.—Charges for Loading/ Unloading of goods shall be Rs. 240 per tonne